(120)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष : पी0बी0एक्स0 26225439, 2622363, 2628461
फैक्स : – 0522–2274526, 2628841, 2274578

पत्रांक 1032सीईएनटी / 11–841 / निगम / 91 दिनांकः 08मार्च, 2011

1. प्रधान प्रबन्धक(केन्द्रीय कार्यशाला / डा0रा0म0लो0) कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
3. समस्त सेवा प्रबन्धक
4. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(कार्मिक / वित्त / आडिट)
6. प्रबन्धक, कारसेक्शन, लखनऊ, उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– **संविदा चालकों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता / अर्हता के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।**

संविदा चालकों के चयन हेतु, पूर्व से निर्धारित योग्यता / अर्हता के दृष्टिगत, क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक संख्या में संविदा चालक उपलब्ध नही हो पाने की समस्या बताते हुये, चयन के मानकों मे कतिपय शिथिलीकरण के सुझाव दिये गये, ताकि संविदा पर कार्य करने वाले चालकों की उपलब्धता बढ़ जाए। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय चयन समिति के समक्ष बहुत से ऐसे अभ्यर्थी पाये जाते है जो वस्तुतः योग्य चालक होने के बावजूद, ऊँचाई, अनुभव एवं आयु के पूर्व निर्धारित मानकों को पूरा नही कर पाते है। उक्त कारणवश, क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा पूर्व से निर्धारित मानकों में शिथिलीकरण करने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त संबंध में, निगम में समिति का गठन कर योग्यताओं / अर्हताओं का परीक्षण कराया गया। मुख्य प्रधान प्रबंधक (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं। उक्त के दृष्टिगत, तत्सम्बन्धी पूर्व निर्देशों को अतिक्रमित करते हुये, संविदा के चालकों के चयन हेतु न्यूनतम् योग्यतायें / अर्हतायें निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

		पूर्व योग्यतायें / अर्हतायें	नवीनतम न्यूनतम् योग्यताये / अर्हतायें
1	शैक्षिक योग्यता	अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम् कक्षा 8 पास	यथावत्।
2	न्यूनतम ऊँचाई	अभ्यर्थी की लम्बाई न्यूनतम 5 फुट 4 इंच	अभ्यर्थी की लम्बाई न्यूनतम 5 फुट 3 इंच।
3	ड्राइविंग लाइसेन्स	अभ्यथी के पास भारी वाहन चलाने की लाईसेन्स अवधि न्यूनतम तीन वर्ष ।	अभ्यर्थी के पास भारी वाहन चलाने की (टी0वी0) लाईसेन्स अवधि न्यूनतम 02 वर्ष ।
4	आयु सीमा	न्यूनतम 23 वर्ष 6माह व अधिकतम 35 वर्ष से कम (पिछड़ा वर्ग / अनु0जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये शासनादेश के अनुसार 5 वर्ष की छूट)।	न्यूनतम् 23 वर्ष 6 माह व कार्य करने की अधिकतम् आयु 58 वर्ष।

.......2

ashish.1

Downloaded from www.upsrtc.com

चयन प्रकिया पूर्ववत् द्विस्तरीय रहेगी, अर्थात प्रथम चयन क्षेत्रीय समिति द्वारा एवं इसका परीक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में गठित समिति द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता रहेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाये।

(एच0एस0गाबा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

समसंख्यक / समदिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ
3. विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ
5. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन / प्राविधिक),निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(जे0एम0सिन्हा)
प्रधान प्रबन्धक(कार्मिक)

Downloaded from www.upsrtc.com